भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1257

(शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

आईबीसी की समीक्षा

1257. श्री रामचरित्र निषादः

श्री बी. विनोद कुमारः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिवाला और शोधन असक्षमता संहिता (आईबीसी) से जुड़ी चिंताओं का समाधान करने और इससे व्याप्त गड़बड़ियों को दूर करने के लिए इसकी समीक्षा करने हेतु एक समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण द्वारा समाधान हेतु लगभग 300 मामलों को स्वीकार किया गया है और उनमें से अधिकांश सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े मामले हैं चूंकि इनमें प्रवर्तकों को पुनरुद्धार प्रक्रिया को विलंबित करते हुए पाया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवास खरीददारों की समस्या का समाधान इसकी आईबीसी की बड़ी चिंताओं में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एक अन्य प्रमुख चिंता, प्रवर्तकों को कंपनियों अथवा परिसम्पत्तियों, जिनको जारी किए जाने की मांग की जा रही है, के लिए बोली लगाने की अनुमति देने से संबंधित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या समीक्षा समिति ने आईबीसी का कुशल कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): मंत्रालय ने 16.11.2017 के आदेश द्वारा दिवाला विधि समिति (आईएलसी) का गठन दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) के उपबंधों के संबंध में प्राप्त सुझावों की जांच के उद्देश्य से किया है। आईएलसी, संहिता की कार्यपद्धति और कार्यान्वयन का ध्यान रखेगी, संहिता के अधीन निर्धारित कारपोरेट दिवाला समाधान और समापन ढांचे की कुशलता को प्रभावित करने वाले

मुद्दों की पहचान करेगी और ऐसे मामलों के समाधान के लिए उचित सिफारिशें करेगी ताकि, निर्धारित प्रक्रियाओं की कुशलता बढ़े और संहिता का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके।

.....2/-

(ख): 31 दिसंबर, 2017 तक राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के विभिन्न खंडपीठों द्वारा समाधान के लिए 524 मामले दाखिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने यह अवगत किया है कि उसने कई बैंकों को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि और 31.03.2016 तक अनिष्पादित खाते के रूप में 60% या उससे अधिक वर्गीकृत 12 खातों को आईबीसी के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया में भेजने के निदेश दिए हैं। ये 12 खाते बैंकिंग प्रणाली की कुल एनपीए का 25% है। इसके अतिरिक्त आरबीआई ने 6 महीने के भीतर कई अन्य खातों का समाधान करने के भी निदेश दिये हैं, जिसमें विफल होने पर आईबीसी के अधीन दिवाला कार्रवाई की पहल करना आवश्यक होगा।

(ग): यह एक ऐसा मुद्दा है जो आईएलसी के जांचाधीन है।

(घ): इस मामले का समाधान आईबीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018, जिसे कुछ व्यक्तियों जो, अपने पूर्ववृत्तों के कारण संहिता के अधीन प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने से रोकने और साथ ही लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदन में पूर्व समाधान योजना प्रस्तुत करने और उस पर विचार करने के लिए कई अतिरिक्त अपेक्षाएं निर्दिष्ट करने के लिए उपबंध बनाने के माध्यम से दिवाला समाधान योजना को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संशोधित किया गया था, द्वारा किया जा रहा है।

(ङ): आईएलसी ने हितधारकों से 10 जनवरी, 2018 तक, 12.12.2017 की सार्वजनिक सूचना द्वारा संहिता के उपबंधों और उसमें अधिसूचित नियमों और नियमनों के संबंध में सुझाव/टिप्पण मांगें हैं। आईएलसी द्वारा उक्त सुझावों/टिप्पणों पर विचार किया जाएगा।

*****